UPAD010094862022

IN THE COURT OF
Additional District and Sessions Judge Court
No.22 AT Prayagraj.
Presided Over by Sri Pankaj KumaSrivastava

1–सत्र परीक्षण संख्या–1152/2022

उत्तर प्रदेश सरकार

..........................**अभियोजन पक्ष**

बनाम

राजू आदिवासी पुत्र मातासरन निवासी ग्राम बरांव, थाना करछना, जनपद प्रयागराज।

...........................**अभियुक्त**

मु0अ0सं0–92/2022
धारा–304 भा0दं0सं0
थाना–खीरी, प्रयागराज।

घटना की तिथि :–	18.05.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट :–	19.05.2022
आरोप विरचन की तिथि :–	04.11.2022
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	14.02.2023

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने की तिथि	04.06.2025
बयान मुल्जिम :–	22.08.2025

निर्णय

1–अभियुक्त राजू आदिवासी के विरूद्ध सत्र परीक्षण संख्या–1152/2022 में पुलिस थाना खीरी, जनपद प्रयागराज द्वारा मु0अ0सं0–92/2022, धारा 304 भा0दं0सं0 में प्रेषित आरोप पत्र के उपरान्त न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है।

2–अभियोजन कथानक (संक्षेप में) इस प्रकार है कि वादी मुकदमा साहब लाल पुत्र स्व0 शोभनाथ आदिवासी ग्राम लक्ष्मणपुर भुण्डा थाना करछना, जनपद प्रयागराज का निवासी है। वादी मुकदमा का भाई सिपाही लाल उम्र लगभग 40 वर्ष दिनांक 18.05.22 को अपने रिश्तेदार राम कैलाश निवासी हनुमानपुर हरवारा के लड़के की शादी में ग्राम सींकी (खूंटा) थाना खीरी प्रयागराज गया था। रात लगभग 12 बजे शादी समारोह चल ही रहा था उसी दौरान किसी बात को लेकर राजू पुत्र माता सरन निवासी ग्राम बरांव थाना करछना, प्रयागराज से विवाद हो गया। जिसके दौरान राजू पुत्र मातासरन ने धक्का मारकर छत से धकेल दिया, जिससे वादी मुकदमा के भाई सिपाही लाल की मौके पर मृत्यु हो गयी।

3–वादी मुकदमा साहब लाल पुत्र स्व0 शोभनाथ निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, भुण्डा, थाना करछना, प्रयागराज द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–92/2022 अभियुक्त राजू के विरूद्ध धारा 304 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दर्ज की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना के

दौरान गवाहों का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किया गया तथा मौके का नक्शा नजरी व अन्य प्रपत्रों को तैयार कर व सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा मु0अ0सं0–92/2022 अभियुक्त राजू के विरूद्ध धारा 304 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त धारा 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ अभियुक्त को प्रदान की गयी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को आरोप के बिन्दु पर विस्तार पूर्वक सुनने के उपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजू के विरूद्ध धारा 304 भा0दं0सं0 के अपराध के तहत प्रथम दृष्टया विचारण हेतु मामला पाते हुये दिनांक 04.11.2022 को आरोप विरचित किया गया। उक्त अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने विरचित आरोपों से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

4–अभियोजन ने अपने कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षी को परीक्षित कराया है।

क्र.सं.	**साक्षीगणों के नाम**	**साक्षी संख्या**	**परीक्षित दिनांक**
1–	साहब लाल वादी मुकदमा	पी0डब्लू0–**01** (कुल 04 पेज बयान व जिरह)	14.02.2023 27.03.2023 13.06.2023
2–	उर्मिला देवी	पी0डब्लू0–**02** (कुल 09 पेज बयान व जिरह)	21.07.2023 03.10.2023 04.12.2023

3–	रमेश कुमार	पी0डब्लू0–**03** (कुल 06 पेज बयान व जिरह)	10.01.2024 21.06.2024 01.07.2024
4–	कां0 अनिल कुमार	पी0डब्लू0–**04** (कुल 01 पेज बयान व जिरह)	04.09.2024
5–	डा0 अजय द्विवेदी	पी0डब्लू0–**05** (कुल 02 पेज बयान व जिरह)	25.10.2024
6–	उपनिरीक्षक भप्पी सोनी	पी0डब्लू0–**06** (कुल 02 पेज बयान व जिरह)	25.10.2024
7–	उपनिरीक्षक उदयवीर	पी0डब्लू0–**07** (कुल 02 पेज बयान व जिरह)	15.05.2025 04.06.2025

5–दौरान विचारण अभियोजन की ओर से सम्बन्धित साक्षीगणों ने अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को औपचारिक रूप से स्वीकार व साबित किया है, जो इस प्रकार है–

1–	तहरीर	प्रदर्श क–1
2–	एफ0आई0आर0	प्रदर्श क–2
3–	कायमी जी0डी0	प्रदर्श क–3
4–	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–4
5–	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–5
6–	आरोपपत्र	प्रदर्श क–6
7–	पंचायतनामा	प्रदर्श क–7
8–	सी0एम0ओ0 चिट्ठी	प्रदर्श क–8
9–	पुलिस फार्म 13	प्रदर्श क–9
10–	फोटोनाश	प्रदर्श क–10
11–	नमूना मोहर	प्रदर्श क–11

6–अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किया गया, जिसमें **अभियुक्त** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक के संबंध में कथन किया है कि "मृतक सिपाही लाल की मृत्यु हृदयाघात के कारण हुई थी और हृदयाघात के कारण ही वह नीचे गिर गया था।" अभियोजन साक्षी संख्या 1 के बयान के संदर्भ में कथन किया है कि "मृतक सिपाही लाल से मेरा कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। मृतक सिपाही लाल के भाई ने घटनास्थल पर समोधा देवी का होना बताया है और उन्हीं के बताने के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करायी है। परन्तु समोधा देवी को साक्षी के रूप में पेश नहीं किया गया है।" अभियोजन साक्षी संख्या 2 के बयान के संदर्भ में कथन किया है कि "उपरोक्त साक्षी ने न तो घटना देखा था और न ही बारात में गयी थी। मात्र अपने चाचा साहब लाल के कहने पर साक्ष्य दिया है।" अभियोजन साक्षी संख्या 3 के बयान के संदर्भ में कथन किया है कि "साक्षी उर्मिला देवी के कथनानुसार मृतक सिपाही लाल छत पर औरतों को बुलाने गया था। परन्तु साक्षी संख्या 3 रमेश कुमार को सिपाही लाल ने औरतों को बुलाने भेजा था। साक्षी संख्या 3 व 2 के बयानों में विरोधाभास है। सभी साक्षी आपस में रिश्तेदार हैं। जिस गांव की घटना है वहां का कोई स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 4 के बयान के संदर्भ में कथन किया है कि "विधिक कार्यवाही होने के कारण कोई जानकारी नहीं है।" अभियोजन साक्षी संख्या 5 के बयान के संदर्भ में कथन किया है कि "विधिक कार्यवाही के अन्तर्गत शव विच्छेदन

कराया गया है। इस पर कोई कथन नहीं करना है।" अभियोजन साक्षी संख्या 6 के बयान के संदर्भ में कथन किया है कि "विधिक कार्यवाही के अन्तर्गत विवेचना की गयी है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है।" अभियोजन साक्षी संख्या 7 के बयान के संदर्भ में कथन किया है कि "गलत बयान दिया है।" आपके विरूद्व मुकदमा क्यों चला, के संदर्भ में कथन किया है कि "मुकदमा रंजिशन चला है।" गवाहान आपके विरूद्व गवाही क्यों देते हैं, के संदर्भ में कथन किया है कि "साक्षी ने रंजिशन साक्ष्य दिया है।" क्या आपको सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना है, के संदर्भ में कथन किया है कि "सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करना है।" क्या आपको कुछ और कहना है, के संदर्भ में "जी नहीं" का कथन किया है।

7—अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में निम्न साक्षी को परीक्षित कराया है।

1.	**डी0डब्लू01**	**गंगा प्रसाद**
2.	**डी0डब्लू02**	**सुग्रीव कुमार आदिवासी**

8—न्यायालय ने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त निर्दोष है क्योंकि जिस प्रकार से गवाहों के द्वारा बयान दिये गये हैं, उससे ऐसा लगता है कि मृतक सिपाही लाल को अभियुक्त ने धक्का देकर हत्या नहीं की, बल्कि दुर्घटनावश अभियुक्त की छत से गिरकर मृत्यु हो गयी और पुरानी दुश्मनी निकालने के लिये अभियुक्त का नाम लिखवा दिया गया और अभियोजन भी अपने कथानक को

साबित करने में नाकाम रहा है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को बाईज्जत बरी किया जाना न्यायोचित होगा।

9—न्यायालय ने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना। विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के भाई सिपाही लाल को धक्का मारकर छत से धकेल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी तथा अभियोजन ने उक्त अपराध को संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्तगण को कड़ी से कड़ी सजा दी जावे।

10—न्यायालय ने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर विद्यमान सम्पूर्ण साक्ष्यों का परिषीलन किया।

11—न्यायालय के विचार से प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णीत करने के लिये निम्नलिखित विनिश्चायक बिन्दु हैं—

1.—क्या विवेचक व अन्य पुलिस कांस्टेबल के द्वारा तैयार किये गये पुलिस प्रपत्रों को उनके द्वारा साबित कराया गया है ?

2.—क्या चिकित्सक द्वारा तैयार किए गए चिकित्सीय प्रपत्रों को उनके द्वारा साबित कराया गया है ?

3.—क्या दिनांक 18.05.2022 को समय करीब 23.59 बजे वहद स्थाान ग्राम सींकी खूंटा, थाना खीरी, जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत अभियुक्त ने वादी मुकदमा के भाई सिपाही लाल को धक्का मारकर छत से धकेल दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आपने हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध का अपराध कारित

किया है, जो भा0दं0सं0 की धारा 304 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है ?

विनिश्चायक बिन्दु संख्या–1–क्या विवेचक व अन्य पुलिस कांस्टेबलों के द्वारा तैयार किये गये पुलिस प्रपत्रों को साबित कराया गया है?

अभियोजन की ओर से पुलिस प्रपत्रों को साबित कराने के लिए अभियोजन साक्षी संख्या **04 कांस्टेबिल अनिल कुमार** को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपने साक्ष्य की **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि– दिनांक 19.05.2022 को मैं थाना खीरी में बतौर कांस्टेबिल मोहर्रिर तैनात था। दिनांक 19.05. 2022 को मुकदमा वादी साहब लाल द्वारा थाना कार्यालय पर आकर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 92/2022 धारा 304 भा0दं0सं0 बनाम राजू पंजीकृत किया था तथा नियमानुसार उसकी जनरल डायरी में रपट नं0 11 दिनांक 19.05.2022 समय 8.51 बजे अंकित किया गया था तथा मुकदमा पंजीकृत करने के बाद घटना की सूचना जरिये आर टी सैट उच्चाधिकारियों को दी गयी थी। साक्षी ने पत्रावली पर शामिल कागज संख्या 4अ/1 लगायत 4अ/3 चिक एफ.आई.आर. देखकर कहा कि यह कम्प्युट्रीकृत चिक एफ.आई.आर. है जो मेरे द्वारा कम्प्युटर पर अंक्षरशः बोलकर अंकित करायी गयी थी। जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर हैं व पत्रावली पर शामिल कागज संख्या 11ब/8 कम्प्युट्रीकृत जनरल डायरी है, जो मेरे द्वारा कम्प्युटर पर बोलकर लिखायी गयी थी व कम्प्युट्रीकृत जनरल डायरी को आज प्रमाणित करता हूँ। कम्प्युट्रीकृत चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–2 व कम्प्युट्रीकृत जनरल डायरी पर प्रदर्श क–3 डाला गया। उक्त साक्षी ने अपने प्रति परीक्षा में कथन किया कि–मेरी पहली पोस्टिंग थाना खीरी में ही थी।

जिस समय थाना खीरी आया था तो मेरी सर्विस मात्र 7 माह की थी। इस 7 माह के दौरान मुझे जो ट्रेनिंग में सिखाया गया था, वही उतना जानता था। जब खीरी में मैं तैनात था, उस समय मुझसे वरीयता की श्रेणी में 3 लोग और थे। जो भी थाने पर आते हैं वो अपनी वरीयता के हिसाब से तय करके आते हैं कि उन्हें किससे मिलना है। घटना वाले दिन मैं रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक कार्यलेख पर तैनात था। मुझे थाने पर तहरीर 19.05.2022 को मिली थी। मुझे सूचना थाने पर लगभग 08.30 बजे के आसपास मिली थी। थाना प्रभारी के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। वादी जब थाने पर आया था तो सबसे पहले मुझसे मिला था। थाने पर ड्यूटी कर्मचारियों की बारी–बारी से लगती है। मुझे ध्यान नहीं है कि कार्यालय में उस दिन मेरे साथ किसकी–किसकी ड्यूटी लगी थी। वादी तहरीर लेकर थाना कार्यालय पर मेरे पास अकेले आया था। प्रार्थना पत्र पाने के बाद मैंने उसका अवलोकन करके थाना प्रभारी से मौखिक वार्ता करके उनके आदेश पर मुकदमा पंजीकृत किया था। विवेचना मैंने सम्बन्धित हल्का चौकी प्रभारी को दिया था। मुझको ट्रेनिंग के दौरान यह ध्यान नहीं है कि, बताया गया था कि विवेचना किस अधिकारी को देनी है, थाना प्रभारी को देनी है या विवेचक को देनी है। मुझे यह याद नहीं है कि विवेचक ने मुझसे विवेचना से सम्बन्धित प्रपत्र कब लिये थे। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मुझे यह याद नहीं है कि विवेचक ने एफ.आई. आर. दर्ज होने के कितने बाद मेरा बयान लिया था। मेरे आफिस में व कम्प्यूटर आफिस में अलग–अलग लोग कार्यरत थे। उस समय कम्प्यूटर आपरेटर कौन था, यह आज मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन शायद कम्प्यूटर आपरेटर अतुल केसरी थे। वादी मुकदमा से मैंने मौखिक भी बातचीत की थी और ध

ाटना के सम्बन्ध में पूछा था। मैंने तहरीर लेने के बाद मुकदमा वादी से यह नहीं कहा कि तुम्हें इन्स्पेक्टर साहब से बात करनी चाहिए। जब मैंने चिक एफ.आई.आर. कम्प्यूटर पर बोलकर लिखाई थी तब 08.51 बजे थे। आरटीसैट से सूचना मुकदमा लिखने के बाद मैंने उच्चाधिकारियों को दी थी। मैंने मुकदमा दर्ज करने के बाद घटना स्थल पर एक सब इन्सपेक्टर व कांस्टेबिल को रवाना किया था। यह कहना गलत है कि मेरे साथ उस समय कार्यलेख पर मेरे अलावा दो और लोग कार्यरत थे। यह कहना गलत है कि तहरीर मैंने कम्प्यूटर पर बोलकर नहीं लिखाई थी बल्कि मेरे सीनियर ने लिखाई थी।

अभियोजन साक्षी संख्या **06** विवेचक **उपनिरीक्षक भप्पी सोनी** ने अपने साक्ष्य की **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि— दिनांक 20.05.2022 को मैं थाना खीरी में बतौर उपनिरीक्षक कार्यरत था। उस दिन मुझे थाना खीरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 92/2022 धारा 304 भा0दं0सं0 थाना खीरी बनाम राजू पुत्र मातासरन अभियुक्त की विवेचना ग्रहण की थी, जिसके मुकदमा वादी साहब लाल थे। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा पर्चा नं01 किता किया गया था,जिसमें नकल चिक, नकल रपट थाने से प्राप्त करके उसका अवलोकन कर पर्चे में इन्द्राज किया था व लेखक एफ.आई.आर. कां0 अनिल कुमार का बयान लेकर पर्चे में अंकित किया था तथा वादी मुकदमा साहब लाल का बयान लेकर पर्चे में अंकित किया था व वादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था व निरीक्षण करने के बाद मौके पर नक्शा नजरी बनाया था। साक्षी ने पत्रावली पर शामिल कागज संख्या 6अ नक्शा नजरी देखकर कहा कि यह नक्शा नजरी मेरे द्वारा मौके पर बनवायी गयी थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ।

जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा पर्चा नं0 2 किता किया गया था जिसमें स्वतंत्र साक्षी शंकर लाल कोल व बिटाई देवी का बयान लेकर पर्चे में अंकित किया था। दिनांक 28.05.2022 को पर्चा नं0 3 मेरे द्वारा किता किया गया था, जिसमें चश्मदीद गवाह उर्मिला, चश्मदीद गवाह रमेश, चश्मदीद गवाह सुनीता देवी का बयान लेकर पर्चे में अंकित किया था। दिनांक 31.05.2022 को पर्चा नं0 4 मेरे द्वारा किता किया गया था, जिसमें थाना कार्यालय से प्राप्त पंचायतनामा मय पोस्टमार्टम प्राप्त हुआ था, का अवलोकर कर पर्चे में इन्द्राज किया था। दिनांक 07.06.2022 को पर्चा नं0 5 किता किया था, जिसमें चश्मदीद गवाह नागेन्द्र कुमार, का बयान लेकर पर्चे में अंकित किया था। दिनांक 13.06.2022 को पर्चा नं0 6 मेरे द्वारा किता किया गया था। जिसमें विवेचना संबंधी कार्यवाही का उल्लेख है। दिनांक 17.06.2022 को पर्चा नं0 7 किता किया गया था। जिसमें चश्मदीद साक्षी समोधा का बयान लेकर पर्चे में अंकित किया था। दिनांक 23.06.2022 को मेरे द्वारा पर्चा नं0 8 किता किया गया था, जिसमें विवेचना संबंधी कार्यवाही का उल्लेख है। पर्चा नं0 9, 10, 11, 12, 13, 14 मेरे द्वारा किता किया गया था। साक्षी ने पत्रावली पर शामिल कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/4 आरोपपत्र देखकर कहा कि यह आरोपपत्र कम्प्युट्रीकृत आरोपपत्र है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। <u>उक्त साक्षी ने अपने प्रति परीक्षा में कथन किया कि–</u> मुझे याद नहीं है कि मैं घटना वाले दिन थाने पर मौजूद था या नहीं मैं नहीं बता सकता। एफ.आई.आर. दर्ज होने पर मुझे जब विवेचक नियुक्त किया जाता है, तो मुझे विवेचना हेतु पेपर कितने समय बाद उपलब्ध कराया जाता है, ये मैं सही

नहीं बता सकता। मैं विवेचक नियुक्त होने के बाद पहला पर्चा अतिशीघ्र काटता हूँ। यदि वादी मुकदमा नहीं मिलता तो उसके मिलने के बाद ही पर्चा काटा जाता है। जिस मुकदमें में मैं विवेचक नियुक्त होता हूँ, उसमें विवेचनात्मक कार्यवाही मेरे द्वारा ही सम्पादित की जाती है। अ०सं० 92 सन् 2022 की विवेचना मुझे प्राप्त होने के बाद मैंने इसमें सारी कार्यवाही मेरे द्वारा शुरू की गयी। उक्त मुकदमें लिखने के तुरन्त बाद मैं घटनास्थल पर पहुँच गया था। मैं विवेचक नियुक्त होने पर घटनास्थल पर किसके साथ गया, मुझे याद नहीं है। विवेचक होने के बाद मैंने मृतक की लाश का पंचनामा नहीं किया, क्योंकि वह मेरे थानांतर्गत नहीं मरा था। मैंने न तो मृतक का पंचनामा किया था और न ही उसकी लाश को देखा था। मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिये भी नहीं भेजा। मृतक सिपाही लाल का पंचनामा किसने किया और लाश पोस्टमार्टम के लिये किसने भेजी, मैं यह केस डायरी में पढ़ने के पश्चात् ही बता सकता हूँ। पहली बार घटनास्थल पर मैं 20.05.2022 को गया था। मैं वादी मुकदमा का बयान घटनास्थल पर जाने से पूर्व ही ले लिया था। मैंने वादी मुकदमा का घटनास्थल पर कोई बयान नहीं लिया था। मैंने वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था और लिखा पढ़ी भी की थी। जहाँ वादी मुकदमा ने घटनास्थल बताया था, उसके दांये तरफ पक्का मकान था और बांयी तरफ कच्चा मकान था। घटनास्थल से उत्तर की तरफ पक्का मकान था, कच्चा मकान दक्षिण की तरफ था। घटनास्थल के सामने पूरब दिशा में एक झोपड़ी थी। जहाँ पर मुझको घटनास्थल दिखाया गया था वहाँ एकदूसरे के मकान के बीच में ज्यादा दूरी नहीं थी। मैंने और गवाहों का बयान जो पर्चा नं. 2 में अंकित है, उसे कब लिया था, मुझे तारीख नहीं याद है। मैं जब

घटनास्थल पर वादी मुकदमा के साथ गया था, तो वहाँ ज्यादा लोग नहीं आये थे। बल्कि वहाँ जिस लड़की की शादी थी उनके माँ बाप ही मिले थे। मैं उन लोगों का बयान वहीं पर लिया था और उनका बयान मैंने किस पर्चे में अंकित किया था, याद नहीं है। जो केस डायरी में मैंने स्वतंत्र साक्षी का बयान अंकित किया है, वह लड़की के माता पिता ही थे। जिस दिन मैं वादी मुकदमा के साथ घटनास्थल पर गया था, वहाँ पर घटना जहाँ घटित हुई थी, उस जगह को केवल वादी मुकदमा ने ही बताया था। जिस जगह को वादी मुकदमा ने मुझे मृतक को गिरना बताया था वो पक्के मकान से दक्षिण दिशा में था। कच्चे और पक्के मकान के बीच की दूरी लगभग 15 फीट रही होगी। जहाँ पर घटनास्थल बताया गया था, वहाँ पर कीचड़ टाइप की जगह थी और वहाँ जो पानी आया था, वो कहाँ से आया था, उसको मैं नहीं बता सकता। मैंने पर्चा नं. 3 मे घटना के दस दिन बाद गवाहों का बयान लिया था, उसका नाम शायद उर्मिला था। बाकी गवाहों का नाम मैं नहीं बता सकता। मैंने साक्षी नागेन्द्र का बयान कब लिया था, मुझे याद नहीं है। मैंने नागेन्द्र को वादी मुकदमा के घर बुलवाया था और वहीं पूंछताछ की थी। मैं नागेन्द्र के साथ घटनास्थल पर नहीं गया था। मैं घटनास्थल पर मात्र एक बार गया था और वह भी वादी मुकदमा के साथ गया था। घटना के दो दिन बाद गया था। मैंने जितने भी साक्षियों का बयान लिया था वह बयान मैं साक्षियों के घर पर जाकर लिया था। घटनास्थल पर बयान मैं केवल वादी मुकदमा व जिसकी लड़की की शादी हुई थी, उनके माता पिता के सिवा और किसी का बयान घटनास्थल पर नहीं लिया था। लड़की के माता पिता ने मुझको यह बताया था कि सिपाही लाल छत से गिर गया और उन्होंने मात्र मुझको सिपाही

लाल के छत से गिरने की बात बतायी थी। जिस मकान से वह सिपाही लाल मृतक गिरा था, वह लड़की के माता पिता का ही मकान था। जो घटनास्थल पर स्थित मकान दिशा उत्तर पक्का मकान की लम्बाई लगभग 25 फीट चौड़ाई लगभग 12 फीट रही होगी। मैं उस मकान पर ऊपर जाकर जहाँ से गिरने की बात बतायी गयी थी, उसको मैंने देखा था। जहाँ पर घ ाटनास्थल दिखाया गया था, उसकी छत पर मुँडेर नहीं थी। छत से बॉडी गिरने के बाद दीवार से दूरी बॉडी 1 से 1.5 फीट दूरी पर थी, यह बात बतायी गयी थी। मैंने जिस मकान से मृतक सिपाही लाल गिरा था, उस मकान के अगल बगल के मकान के व्यक्तियों से पूँछताछ नहीं किया था। जिस मकान से गिरा था बस उसी मकान के व्यक्तियों से पूँछताछ किया था। मैं घटनास्थल पर जो नक्शा नजरी बनाया था, उसमें चार मकान और एक मढ़हा दिखाया था। यह कहना गलत है कि मैंने जो घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया है, उसमें सही दिशा नहीं दिखाया है। यह कहना गलत है कि मैं घटनास्थल पर नहीं गया था, मैंने थाने पर ही बैठकर नक्शा नजरी बनाया था।

<u>अभियोजन साक्षी संख्या **07 उपनिरीक्षक उदयवीर**</u> ने अपने साक्ष्य की **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि– दिनांक 19.05.22 को मैं थाना खीरी में बतौर एस0आई0 तैनात था। उस दिन मेरे द्वारा मृतक सिपाही लाल पुत्र शोभनाथ उम्र 40 वर्ष निवासी लक्ष्मणपुर भुण्डा थाना करछना के शव का पंचायतनामा उसके घर ग्राम लक्ष्मणपुर पहुंचकर वहॉ उपस्थित परिजन में से पंचान नियुक्त करके पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी थी तथा पंचायतनामा लिखने के बाद पढ़कर सुनाकर संबंधित के अलामात बनवाये गये थे तथा पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद मृतक के पोस्टमार्टम कराने के प्रपत्र तैयार किये थे तथा

शव को सर्वसील मोहर करके पोस्टमार्टम करके पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया था। साक्षी ने पत्रावली पर शामिल कागज संख्या 7अ/2 लगायत 7अ/3 पंचायतनामा देखकर कहा कि यह पंचायतनामा मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं और संबंधित के अलामात हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ। जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर शामिल 7अ/7 सी.एम.ओ. चिट्ठी कागज संख्या 7अ/8 पुलिस फार्म –13 कागज संख्या 7अ/9 फोटो नाश कागज संख्या 7अ/10, नमूना मोहर देखकर कहा कि यह प्रपत्र मेरे द्वारा मौके पर तैयार किये गये थे। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10 एवं प्रदर्श क–11 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। उक्त साक्षी ने अपने प्रति परीक्षा में कथन किया कि मेरी थाने से रवानगी 8.51 बजे सुबह हुई थी। जहां लाश सील किया था। वहां से थाने की दूरी लगभग 15 किमी० होगी। मैं लाश के पास लगभग 9.30 बजे पहुंचा था। मेरे साथ का० अजय कुमार हमराही था। मौके पर लाश पीठ के बल लेटे अवस्था में थी। जिस लाश का पंचनामा करने मैं गया था, वह घटनास्थल पर न होकर ग्राम लक्ष्मणपुर भुण्डा मृतक के निवास स्थान पर थी। निरीक्षण करने पर पता चला कि मृतक अमूल की चड्ढी पहने हुये था। बनियान जो पहने था, उसका लोगो नहीं लगा था। लाश बिल्कुल साफ सुथरी थी। शव पंचायतनामा की कार्यवाही 12.30 बजे तक चली थी। पंचान मौके पर मौजूद थे। पंचान ने मृतक को छत से गिरकर मौत होना बताया है। लाश के दाहिने हाथ के अंगूठे पर हल्का खरोच का निशान था। मृतक सिपाही लाल के शरीर पर अन्य जाहिरा चोट के निशान नहीं थे।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विवेचक द्वारा की गयी विवेचना दोषपूर्ण है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

जहां तक विवेचना दोषपूर्ण होने और घटना संदेहस्पादक होने की बात है उसके बाबत यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दोषपूर्ण विवेचना का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता। क्योंकि विवेचना का काम एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी करती है और उसमें पीड़ित या उसके परिवार के लोग अपना कोई योगदान नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में दोषपूर्ण विवेचना का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी **Dhanaj Singh Vs. State of Punjab, (2004) 3 SCC 654 (Two–Judge Bench)** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–In the case of a defective investigation the Court has to be circumspect in evaluating the evidence. But it would not be right in acquitting an accused person solely on account of the defect; to do so would tantamount to playing into the hands of the investigating officer if the investigation is designedly defective.

<u>निष्कर्ष–</u> उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पुलिस प्रपत्रों को सम्बन्धित साक्षी से साबित कराया गया है।

<u>विनिष्चायक बिन्दु संख्या–2</u>–क्या चिकित्सक द्वारा तैयार किए गए चिकित्सीय प्रपत्रों को उनके द्वारा साबित कराया गया है ?

अभियोजन की ओर से चिकित्सीय प्रपत्रों को साबित कराने के लिए अभियोजन साक्षी संख्या **05 डा0 अजय द्विवेदी** को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने साक्ष्य की **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक 19.05.2022 को मेरी ड्यूटी मरचरी हाउस एस0आर0एन0 अस्पताल में लगी थी। उस दिन मृतक सिपाही लाल के शव को सी.पी. अजय कुमार सिंह थाना करछना, प्रयागराज शव विच्छेदन हेतु लेकर आये थे। जिसकी पहचान संबंधित कांस्टेबलने की थी। मृतक की ऊंचाई 169 सेमी0 मध्यम औसत कद काठी का था। मृत्यु के पश्चात् शव में अकड़न थी। मुंह में 11/16 दांत मौजूद थे।

बाह्य चोटें– दाहिने हाथ के अंगूठे में खरोच 1 x 0.5 सेमी0 था।

आंतरिक परीक्षण– मस्तिष्क की झिल्लियों में कन्जेशन था। फेफड़ा और उसकी झिल्लियों में भी कन्जेशन था। हर्ट चैम्बर में खून का थक्का मौजूद था। हार्ट में इंटीरियर सरफेस में इनफार्क था। आमाशय में लगभग 200ग्राम अधपचा खाना मौजूद था। लीवर, स्पिलीन, अग्नाशय, किडनी में कन्जेशन था। मूत्राशय खाली था।

अभिमत – मृत्यु का सम्भावित समय आधे दिन का था। मृत्यु का तात्कालिक कारण कार्डियक्स शाक जो कि मायो कार्डियल इनफेक्शन की वजह से था।

वस्त्र– मृतक के शरीर पर शर्ट अण्डरवियर बनियान मौजूद था। शव को जब लाया गया था तो शव सर्वसील मोहर स्थिति में था। शव को पोस्टमार्टम के बाद शव को कां0 अजय सिंह को सौंप दिया गया था। साक्षी ने पत्रावली पर शामिल कागज संख्या 8अ/1 लगायत 8अ/3 देखकर कहा कि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि

करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। उक्त साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया कि पोस्टमार्टम से पहले मैंने बाडी को भली भॉति देखा था। उसके दाये हाथ के अंगूठे में केवल चोट का निशान था। मैंने शव सिपाही लाल का पोस्टमार्टम दिन में लगभग 2.00 बजे दिनांक 19.05.22 को किया था। मेरे पास पुलिस का ऐसा मेमो नहीं भेजा जाता, जिससे मृतक की मृत्यु का सभावित कारण लिखा हो। हम लोग कन्जेस्टेड शब्द जो लिखते हैं वह अंगो की सूजन से लिखा जाता है। ये कंजेस्टेड शब्द कुछ मृतक में इसके लक्षण पाये जाते हैं, वो बीमारियों में पाये जाते हैं। जब व्यक्ति ऊंचाई से गिरेगा तो कौन सा अंग डैमेज होगा, मैं नहीं बता सकता हूॅ। जब खून की सप्लाई हृदय में रूक जाती है तो खून का थक्का बन जाता है। यदि आदमी हार्ट का मरीज है तो उसकी खून की सप्लाई हार्ट अटैक होने पर रूक जाती है। खून का थक्का जमने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। मृतक सिपाही लाल के अंदरूनी अंगों में कोई ऐसी चोट नहीं थी, जिससे उसकी मृत्यु हो सके। मृतक सिपाही लाल को बाहरी चोट भी नहीं थी, जिससे उसकी मृत्यु हो जाये। मैंने जो सिपाही लाल का पोस्टमार्टम किया है, उसमें मृतक सिपाही लाल की मृत्यु ऊंचाई से गिरने पर नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। मेरे द्वारा जो शव विच्छेदन किया गया है, उसकी सम्पूर्ण जॉच मेरे द्वारा की गयी है। मृतक के अंदरूनी अंग में न तो कोई चोट थी और न ही कोई अंग डैमेज था, जिससे उसकी मृत्यु हो सके।

निष्कर्ष–उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि चिकित्सीय प्रपत्रों को सम्बन्धित साक्षी से साबित कराया गया है।

विनिश्चायक बिन्दु संख्या–3– क्या दिनांक 18.05.2022 को समय करीब 23.59 बजे वहद स्थाान ग्राम सींकी खूंटा, थाना

खीरी, जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत अभियुक्त ने वादी मुकदमा के भाई सिपाही लाल को धक्का मारकर छत से धकेल दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आपने हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध का अपराध कारित किया है, जो भा0दं0सं0 की धारा 304 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है ?

अभियोजन ने अपने कथानक को साबित करने के लिये औपचारिक साक्षियों के अलावा तथ्य के **03** साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। **अभियोजन साक्षी संख्या–01 साहब लाल** ने अपने साक्ष्य की **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घ ाटना दिनांक 18.05.2022 की रात लगभग 12 बजे की है। इस मुकदमे में मृतक सिपाही लाल मेरे बड़े भाई हैं। दिनांक 18.05. 2022 को मेरे भाई सिपाही लाल रिश्तेदार राम कैलाश आदिवासी निवासी हनुमानपुर हरवारा के लड़के की शादी में ग्राम सीकी खूंटा थाना खीरी, प्रयागराज गये थे। बरात में जब नाचगाना हो रहा था, उसकी दौरान मेरी चचेरी बहन सुनीता को राजू अपने घर नाचने के लिये खींच रहा था और मेरी चचेरी बहन पर छींटाकशी कर रहा था, जिस बात को लेकर मेरे भाई सिपाही लाल ने राजू को मना किया था। जिस समय यह बात हुई थी वहॉ पर मेरी भाभी समोधा देवी, चचेरा भाई रवि, भतीजी उर्मिला और मेरी चचेरी बहन सुनीता भी मौजूद थी और बहुत से लोग भी मौजूद थे। इस बात के बाद मेरे घर की सभी औरतें जिसके घर बरात आनी थी, उसके छत पर चढ़कर जयमाला देखने चली गयी थी। उनके पीछे–पीछे राजू भी छत पर चला गया था। थोड़ी देर बाद मेरे भाई सिपाही लाल छत पर जाकर औरतों को नीचे आकर जयमाला देखने के लिये बोलने गये थे तभी वहॉ पहले से मौजूद राजू आदिवासी पुत्र माताशरन मेरे भाई से कहासुनी करने लगा और नीचे कही

बात को लेकर मेरे भाई सिपाही लाल को छत से नीचे की ओर धक्का दे दिया, जिसके कारण मेरे भाई सिपाही लाल छत से नीचे जमीन पर गिर गये थे, जिस कारण मेरे भाई सिपाही लाल की मृत्यु हो गयी थी। यह सब बातें मेरी भाभी समोधा ने बतायी थी। मेरे भाई की लाश वहॉ से लक्ष्मनपुर मेरे निवास स्थान पर आयी थी, फिर घर से जाकर मैंने थाने पर तहरीर दी थी। तहरीर मैंने रिश्तेदार से बोलकर लिखवायी थी, फिर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। साक्षी ने पत्रावली पर शामिल कागज संख्या 5क तहरीर देखकर कहा कि यह वही तहरीर है, जो मैंने अपने रिश्तेदार को बोलकर लिखवायी थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उक्त साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया कि मुझे इस घटना की सूचना नागेन्द्र कुमार ने दिया था। यह सूचना रात में लगभग 12.15 बजे मिली। जब सूचना मिली तब मैं घर पर था। उन्होंने यह बताया था कि सिपाही लाल छत से गिर गये हैं। जब सूचना पाकर मैंने पूछा कि मेरे भाई कैसे गिर गये तब उन्होंने बताये कि छत से किसी ने उन्हें गिरा दिया है। सूचना पाकर सबसे पहले मैं रोकड़ी चौराहे पर आया था। रोकड़ी चौराहे पर मैं लगभग 12.30 बजे पहुंचा था। मैं रोकड़ी चौराहे पर अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहा था। चौराहे पर पहुंचने के बाद केवल नागेन्द्र का ही फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि आपके भाई सिपाही लाल की मृत्यु हो चुकी है। भाई की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के बाद भी मैं घटनास्थल पर नहीं गया था। मृत्यु की सूचना मिलने के बाद भी मैं रोकड़ी चौराहे पर रूका रहा था। मैं रोकड़ी चौराहे पर पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से गया था। रोकड़ी चौराहा से घटनास्थल खूंटा गांव की दुरी लगभग 15 किलोमीटर है। मैं रोकड़ी चौराहे पर

इसलिये रूका था, क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। रोकड़ी चौराहा से पेट्रोल पम्प की दुरी लगभग 3 किलोमीटर है। रात होने के कारण पेट्रोल मिलने की संभावना नहीं थी और मेरे भाई चार पहिया वाहन लेकर रोकड़ी चौराहे की ओर ही लोग आ रहे थे। रोकड़ी चौराहा पर भाई की लाश आने के बाद हम लोग अपने गांव लक्ष्मणपुर चले गये थे। इस घटना के बारे में मेरी बात चीत मेरी भाभी, मेरी बहन व भतीजी से हुई थी। इस घ टना के बाबत 112 नं0 पर फोन किया था, जिस पर पुलिस आयी थी। लाश के साथ आये हुये लोगों से मेरी कोई बातचीत हुई थी या नहीं, याद नहीं है। मैं थाने पर सुबह 9.00 बजे के लगभग गया था। 9.00 बजे से पहले इस घटना के बाबत कोई सूचना थाने पर नहीं दी थी। साक्षी ने पत्रावली पर कागज संख्या 5अ को देखकर कहा कि यही वह तहरीर है जो मैंने बोलकर लिखवाया था और अपने हस्ताक्षर बनाया था। दरोगा जी ने घटना वाले दिन मेरा बयान लिया था। मुझे दरोगा जी घ टनास्थल पर नहीं ले गये थे। मैं घटनास्थल पर दो बाद गया था। घटनास्थल पर मैं अपने आप गया था। पुलिस वालों ने मुझसे घटनास्थल के बारे में कुछ नहीं पूछा था। जब मेरे भाई की लाश घर आयी थी तब उसके हाथ में चोट लगा था। **अभियोजन साक्षी संख्या–02 उर्मिला देवी** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक 18.05.2022 को मेरे बुआ के देवर संतोष की बारात सीकी खूंटा, थाना खीरी, जनपद प्रयागराज गयी थी। मृतक सिपाही लाल मेरे चाचा हैं। दिनांक 18.05.2022 को बरात में नाच गाना चल रहा था। वहॉ पर द्वारचार देखने के लिये हम सभी लोग उपस्थित थे। वहॉ पर राजू जो कि मेरे फूफा लगते हैं, मेरी चचेरी बुआ सुनीता को नाचने के लिये जबरन खींच रहे थे। जिस पर मेरे चाचा सिपाही

लाल ने मना किया और अपने चचेरे भाई रवि को बुलाकर डांटा कि राजू, सुनीता का हाथ पकड़कर बार–बार नाचने के लिये खींच रहा है और तुम यहॉ नाचने में व्यस्त हो। सुनीता को लेकर यहॉ से जाओ। इसके बाद हम सब लोग द्वारचार समाप्त होने के बाद छत पर चले गये। मेरे चाचा सिपाही लाल की इन बातों को लेकर राजू बहुत बुरा मान गया और छत पर आकर महिलाओं के पास बैठ गया। रात के लगभग 12 बजे मेरे चाचा सिपाही लाल हम लोगों को जयमाल देखने व खाना खा पीकर बुलाने गये थे। उसी समय छत पर मौजूद राजू ने गुस्से में तेज से धक्का देकर छत से नीचे धकेल दिया। यह घटना मैं, मेरी बुआ, चाची आदि लोगों ने अपनी ऑखों से देखा क्योंकि हम सभी लोग अपनी छत पर मौजूद थे। इसके बाद राजू जल्दी से नीचे भाग गया। तब हम लोगों ने शोर मचाया। मैंने अपनी ऑखों से राजू आदिवासी को चाचा सिपाही लाल को छत से धक्का देते देखा था। फिर वहॉ पर मौजूद लोग मेरे चाचा सिपाही लाल को गाड़ी पर लादकर अस्पताल ले गये, जहॉ पर डाक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। उक्त साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया कि मैं इण्टर पास हूॅ। मृतक रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं। वे अपने भाइयों में तीसरे नम्बर पर हैं। जहॉ घटना घटित हुई, वह मेरी बुआ का घर है। मेरी बुआ के देवर की शादी थी। बारात घटनास्थल पर रात के 8 या 9 बजे तक पहुंची थी। बारात में मेरे साथ मेरी बुआ, मेरी चाची, बुआ की लड़की सुनीता भी गये थे। शादी में हम बोलेरो गाड़ी से गये थे। बारात सीधे द्वारचार पर ही रूकी थी और कहीं नहीं रूकी थी। द्वारचार के बाद हमने नाश्ता नहीं किया था, सीधे छत पर गये थे। शादी में महिलाओं के नाश्ते का इन्तजाम ऊपर

था एवं पुरूष लोगों के खाने पीने का इन्तजाम नीचे था। मैंने करीब 10.00 बजे खाना खाया था। मुझे खाना खाने में लगभग 15 मिनट लगा था। जब मैं खाना खा चुकी थी तब दरवाजे पर बारात का कार्यक्रम चल रहा था। मैं नीचे बारात का प्रोग्राम ऊपर से ही देख रही थी। मैं आधे घण्टे बाद ऊपर से नीचे आयी थी। तब जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन मैं जयमाल में शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा छोटा बेटा गोंद में था। घटना वाले दिन मैं सोयी नहीं थी, जयमाल के समय मैं स्टेज पर नहीं गयी थी, नीचे ही खड़ी थी। मेरे चाचा मृतक सिपाही लाल पैंट, शर्ट व सदरी पहने थे। मैं जब जयमाल के लिये नीचे आयी थी, तब मैं छत से अकेले नीचे आयी थी। मेरे साथ कोई नीचे नहीं आया था। जयमाल मकान के उत्तर दिशा में हो रहा था, मेरा मुंह उत्तर की दिशा में था। जिस छत से मैं नीचे उतरी थी, पश्चिम उन्हीं का मकान था, जिसके यहां बरात आयी थी। जयमाल जब हो रहा था, तब मैं ज्यादा देर नहीं रूकी थी, क्योंकि बच्चा रो रहा था, इसलि मैं छत पर चली गयी थी। जब मैं छत पर गयी तो मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई थी। जब मैं छत पर गयी तो मेरा बच्चा चुप हो गया था, तब मैं नीचे आ गयी। सिपाही लाल छत पर लगभग 12.00 बजे गये थे। सिपाही लाल छत पर गये थे उसके लगभग 10 मिनट पहले मैं छत पर गयी थी। जब सिपाही लाल छत पर गये, उस समय मेरी बुआ ने मुझे समय पूछने पर 12.00 बजे बताया था। मेरी बुआ पढ़ी लिखी नहीं है। फिर कहा कि बुआ पांच तक पढ़ी हैं। मेरी बुआ का नाम सुनीता है और उनकी उम्र 18 वर्ष है। जिस समय सिपाही लाल छत पर चढ़े थे उस समय बरात की सारी महिलाएं उत्तर की तरफ मुंह करके जयमाल देख रही थी। राजू हमारे बुआ का नन्दोई है। मेरी जानकारी में

द्वारचार में वाद विवाद हुआ था। जो वाद विवाद हुआ था, उसमें उर्मिला देवी और मुल्जिम की पत्नी ठीक बोल...... रहे थे। बाकी बरात में शामिल कोई भी व्यक्ति या औरत नहीं बोल रहे थे, सारे लोग नाच रहे थे, मैं बरात के साथ चल रही थी। मैं रमेश को जानती हूं इनका हनुमानपुर में घर है, मैं रवि को भी जानती हूॅ। सिपाही लाल मृतक ने रवि को डॉटा और मारा था। यह घटना मैंने बरात में देखी थी। जिस समय सिपाही लाल ने रवि को डॉटा व मारा था, उसके बाद बरात दरवाजे पर कितने बजे आ गयी, मैं समय नहीं बता सकती हूॅ। बरात पहुंचने के बाद दरवाजे पर द्वारचार में लगभग आधे घण्टे का समय लगा होगा। आधे घण्टे बाद सिर्फ औरतों के लिये खाने का प्रोग्राम ऊपर था। मैंने ऊपर पहुंचते ही खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मैं नीचे चली गयी थी। मेरे साथ और कोई नीचे नहीं गया था। जिस समय मैं नीचे गयी थी, मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई थी। मुझसे बच्चे के रोने का कारण किसी ने नहीं पूछा क्योंकि सब लोग जयमाल देख रहे थे। बच्चा लेकर मैं बस एक मिनट नीचे रही फिर बच्चा चुप होने के बाद ऊपर चली गयी। मैं जयमाल देखने के लिये छत के ऊपर कितनी देर तक बैठी रही, मुझे नहीं मालूम। मैं छत पर जब जयमाल दे रही थी, तब मेरे चाचा सिपाही लाल के अलावा कोई छत पर नहीं गया था। मैं छत से जयमाल नहीं देख रही थी, मैं अपने बच्चे को संभाल रही थी, बाकि औरतें जयमाल देख रही थी। मैंने जयमाल देखा ही नहीं। सिपाही लाल जब छत पर गये थे, तब मैंने उनको देखा था। सिपाही लाल ने मुझको जयमाल देखने के लिये नहीं कहा था। सिपाही लाल को मैंने छत पर खड़े हुये देखा था, उनका मुंह दक्षिण की तरफ था और औरतें उत्तर की तरफ बैठी हुई थी। जिस समय सिपाही लाल औरतों

को जयमाल देखने के लिये ऊपर बुलाने आये थे । तब मैने ही उनको सबसे पहले देखा था बाकि औरतों का मुंह दूसरी तरफ था। सिपाही लाल छत पर जाने के बाद औरतों को जयमाल देखने के लिये नहीं कह रहा था बल्कि दक्षिण की तरफ देखकर थूक रहे थे, तभी दौड़कर राजू ने सिपाही लाल को धक्का मार दिया। जब राजू ने सिपाही लाल को धक्का मारा तब मैंने शोर मचाया था। शोर मचाने के बाद जब राजू भाग गया तब हम लोग नीचे आये। जब मैं नीचे आयी तब इस घटना के बारे में सबसे पहले मैंने चाची को बताया। मेरी चाची घटना के बाद मेरे साथ नीचे आयी थी, तब मैंने उनको घ टना वाली बात बतायी थी। जहां सिपाही लाल गिरे थे, मैं वहां नहीं गयी थी, उनको सामने, पीछे से दरवाजे पर लाया गया था, तब मैंने उनको देखा था। मैं सिपाही लाल की चोट नहीं देख पायी थी, क्योंकि सब लोग उनको लेकर अस्पताल चले गये थे। मैंने घटना के बाद सिपाही लाल की चोटों के बारे में किसी से नहीं सुना। मैंने घटना के तुरन्त बाद फोन से इस घ टना की सूचना अपने चाचा साहब लाल को दिया था। इस घ टना के बारे में दरोगा जी ने मुझसे घटना के दूसरे दिन सुबह पूँछ तॉछ की थी। दरोगा जी ने मुझसे पूँछ–तॉछ लक्ष्मणपुर में की थी। **अभियोजन साक्षी संख्या–03 रमेश कुमार** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 18.05.2022 की रात 12.00 बजे की है। घटना वाले दिन मैं, राम कैलाश अपने मामा के लड़के संतोष की बरात में शामिल होने सींकी खूंटा गया था। बरात लगभग 8.00 बजे ग्राम सींकी, खूंटा पहुंची थी। बरात पहुंचने के बाद वहॉ शादी से संबंधित कार्यक्रम चल रहा था। इस मुकदमे में मृतक का नाम सिपाही लाल है। सिपाही लाल मेरे भईया अशोक के साले

हैं। बरात में जब मैं पहुंचा था तब सिपाही लाल भी मौजूद थे। शादी में जयमाल के दौरान सिपाही लाल ने मुझसे कहा कि छत पर जाओ और घर की महिलाओं को खाना खाने के लिये नीचे बुआ लाओ। सिपाही लाल भइया के कहने पर मैं छत पर महिलाओं को बुलाने गया था। जिस समय मैं महिलाओं को बुलाने छत पर गया था, उस समय लगभग पौने बारह या 12.00 बजे के बीच का समय था। जब मैं छत पर पहुंचा था तब वहॉ पर राजू बैठा था, मेरे पीछे–पीछे सिपाही लाल भी छत पर आ गये थे। सिपाही लाल छत पर पहुंचकर जैसे ही भुण्डर के पास पहुंचे और खड़े हुये वैसे ही पहले से ही छत पर मौजूद राजू ने खड़े होकर बिना कुछ बोले सिपाही लाल के पास पहुंचकर एकबारगी धक्का मारकर छत से नीचे गिरा दिया। मैंने राजू को सिपाही लाल को धक्का मारकर छत से नीचे गिराते देखा था। मैं शोर मचाया तब तक राजू भागकर नीचे सिपाही लाल के पास पहुंच गया था। मैं भी पीछे–पीछे पहुंचा था। देखा कि राजू फिर से एक सूखी बांस उठाकर सिपाही लाल को मारने जा रहा है तो मैंने राजू से बांस की छड़ी छीनकर फेंक दिया था। सिपाही लाल जहॉ छत से गिरे थे वहॉ जमीन पर कीचड़ था। मैं और मौजूद अन्य लोगों ने सिपाही लाल को निकाला था तब वह बोल नहीं पा रहे थे। फिर हम लोगों ने बरात में आयी हुई गाड़ी में सिपाही लाल को लादा था फिर वह गाड़ी सिपाही लाल को लेकर इलाज हेतु अस्पताल गयी थी। फिर सुबह मुझे पता चला कि सिपाही लाल की मृम्त्यु हो गयी है। फिर मैं सिपाही लाल के घर करछना गया था और अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। राजू के धक्का देकर नीचे गिराने के कारण ही सिपाही लाल की मृत्यु हुई थी। <u>उक्त साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया कि–</u> मेरी मृतक सिपाही लाल से

1.00 बजे रात मुलाकात हुई थी। जब मेरी सिपाही लाल से मुलाकात हुई तब वह पैंट शर्ट पहने थे। जहां जयमाल हो रहा था, वहां सिर्फ एक मान था सटा हुआ। मकान के सामने जयमाल हो रहा था। जिस मकान के सामने जयमाल हो रहा था वह मकान लगभग 20 फिट लम्बा और 12 फिट चौड़ा रहा होगा। जिस समय जयमाल हो रहा था, सिपाही लाल वहीं पर थे। खाना खाये थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। जहां पर जयमाल हो रहा था, उस मकान के सामने किसी प्रकार का निर्माण नहीं था। जिस मकान के सामने जयमाल हो रहा था, उस मकान की मुण्डेर नहीं बनी थी। मैं उस मकान पर चढ़ा था, सीढ़ी मकान के पीछे से थी। मैं जब छत पर चढ़ा था, उस समय रात के 1.30 बजे थे। मैं जब छत पर चढ़ा था तब वहां पर घराती बराती औरतें थी। जब मैं छत पर चढ़ा तब औरतों को नीचे बुलाया था। परन्तु औरतें नीचे नहीं आयी थी। मैंने औरतों को नीचे खाना खाने के लिये बुलाने गया था। बुलाने पर सुनीता, शीला, गुड़िया आदि औरतें नीचे आयी थी। मैं छत पर खड़ा था, उस समय रात के 12.00 बजे थे। मैं छत पर 10–15 मिनट था। मैं मुल्जिम राजू को जानता पहचानता हूॅ। राजू की रिश्तेदारी मेरे गांव में ही है। जहॉ राजू की रिश्तेदारी है, वह मेरे घर के बगल में है। मैं राजू की पत्नी को जानता पहचानता हूॅ। राजू की पत्नी रिश्ते में मेरी दीदी लगती है। मेरा राजू के सालों से जमीन का कोई विवाद नहीं हुआ था और पंचायत नहीं हुई थी। राजू की शादी मेरे परिवार में ही हुई है। घटना वाले दिन राजू से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। जब मैं छत पर पहुंचा था तब सिपाही लाल मेरे पीछे–पीछे ही छत पर पहुंचे थे। जब सिपाही लाल छत पर गये थे, तब 10–15 मिनट सिपाही लाल छत पर ही रहे। सिपाही लाल जब छत पर पहुंचे

राजू ने सिपाही लाल को धक्का मार दिया। जब राजू ने सिपाही लाल को धक्का मार दिया तब मैं तुरन्त नीचे भागकर आया। जब राजू ने सिपाही लाल को धक्का मारा था तब मैंने शोर मचाया था। मैंने राजू को छत पर नहीं पकड़ा था, नीचे आकर पकड़ा था। मैंने राजू को सीढ़ी से उतरते ही नीचे पकड़ लिया था। जहॉ पर मैंने राजू को पकड़ा था, वहां से सिपाही लाल थोड़ी दूर पर ही गिरे थे। जहॉ सिपाही लाल गिरे थे वहां सबसे पहले मैं पहुंचा था, मेरे बाद मेरी औरत पहुंची थी। मेरे सिवा सिपाही लाल को धक्का मारते हुये किसी और ने नहीं देखा होगा।

अभियुक्त ने अपने बचाव में दो बचाव साक्षी डी0डब्लू0 1 व डब्लू02 को प्रस्तुत किया है। बचाव पक्ष के **साक्षी गंगा प्रसाद** जो कि **डी0डब्लू01** है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–आज से लगभग 03 वर्ष पहले हनुमानपुर से खूंटा (सींकी) थाना खीरी बरात गयी थी। बरात में मैं भी गया था। बरात में कोई भी औरत नहीं गयी थी, क्योंकि हमारी बिरादरी में औरतें बरात नहीं जाती हैं। खाना–पीना खाने के बाद हम लोग जयमाल की जगह पर बैठे थे। हमारे पास सिपाही लाल भी बैठे थे। सिपाही लाल ने बताया कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है और थोड़ी देर बाद सिपाही लाल हम लोगों से कहा कि हम थोड़ी देर में आते हैं और हम लोगों के पास से उठकर टेन्ट के बगल खाली पड़ी जमीन की तरफ गया, फिर आधे घण्टे बाद शोर हुआ कि कोई आदमी टेन्ट के पीछे घर के बगल गिरा पड़ा है। हम सब लोग दौड़कर गये तो देखा कि सिपाही लाल वहां पर मरा पड़ा है। फिर उसे गाड़ी से लेकर लोग चले गये। अस्पताल गये या घर गये, हमें नहीं मालूम। मैं रात को ही बरात से घर लौट आया था। सुबह पता चला था कि रपट राजू

के खिलाफ लिखा दी गयी है। उक्त साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मैं संतोष की बारात में गया था, रात दस बज गया था। मैं बारात के समय ही गया था। बारात में लगभग दो सौ लोग गये थे। बाराती बोलेरो गाड़ी से गयी थी। लगभग 10–15 बोलेरो से गये थे और कुछ लोग दो पहिया से गये थे। सिपाही लाल ने सिर्फ मुझसे सीने में दर्द के बारे में बताया था। मैं उनको डाक्टर के पास चलने को नहीं कहा था। सिपाही लाल रिश्ते में मेरे ससुर लगते हैं। मेरे घर से सिपाही लाल का घर लगभग 10 किलोमीटर है। बारात हनुमानपुरा से खूंटा गांव गयी थी। हनुमानपुरा से 30 किलोमीटर खूंटा गांव है। रात 10.00 बजे हम लोग पहुंचे थे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बारात जब जाती है तो लड़के पक्ष की ओर से जो काम होता है वह काम नाऊ, पंड़ित करते हैं। मैंने शोर की आवाज लगभग 11.00 बजे सुना था। जब सिपाही लाल मेरे पास से उठकर गये थे तो मैं वहीं पर बैठा था। सिपाही लाल के साथ नहीं गया था। सिपाही लाल कैसे व कहां से गिरे थे, मैंने नहीं देखा था। बचाव पक्ष के **साक्षी सुग्रीव कुमार आदिवासी** जो कि **डी0डब्लू02** है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं बरात में हनुमानपुर से खूंटा सींकी बरात में गया था। जहॉ जयमाल का कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर पूरा जयमाल का स्टेज व तीन तरफ से पूरी तरीके से तम्बू कनात से ढ़का हुआ था। हम लोग जयमाल मंच के सामने बैठे थे। नीचे बैठा हुआ आदमी न तो ऊपर देख सकता और न ही कोई आदमी ऊपर से जयमाल ही देख सकता था। मेरी बिरादरी में औरतें बरात नहीं जाती है। कथित घटना वाले दिन सिपाही लाल मृतक ने बाजे की आवाज से उसे परेशानी हो रही थी। यह बात उसने मुझे बतायी थी और वह हम लोगों के पास से दूर चला गया

था। बाद में पता चला कि सिपाही लाल को अस्पताल ले गये हैं और उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मैंने आज मुख्य परीक्षा में जो बयान दिया है वह पहली बार न्यायालय में बतायी है। मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान के बारे में किसी गांव के व्यक्ति को बारात में उपस्थित व्यक्ति को या किसी पुलिस अधिकारी को या पुलिस के किसी उच्चाधिकारी को लिखित या मौखिक रूप से नहीं बताया है। मैं दिनांक 18.05.22 को बारात गये थे। मैंने सिपाही लाल मृतक को छत से गिरते अथवा किसी के द्वारा धक्का देते हुये नहीं देखा था।

न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के बयानों व पत्रावली में शामिल मिसिल अन्य अभियोजन साक्ष्य प्रपत्रों का अवलोकन व परिशीलन किया। परिशीलन से स्पष्ट है कि घटना के दो चश्मदीद साक्षी मुख्य रूप से हैं, जिनका नाम रमेश कुमार व उर्मिला देवी है। जिसकी पुष्टि विवेचक ने भी अपने बयानों में किया है। चश्मदीद साक्षी उर्मिला देवी मृतक सिपाही लाल की भतीजी लगती है और मुल्जिम चश्मदीद साक्षी उर्मिला देवी का फूफा लगता है। साक्षी उर्मिला देवी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसकी बुआ के देवर संतोष की बारात में जो कि सींकी खूंटा थाना खीरी, जनपद प्रयागराज गयी थी, अभियुक्त राजू जो कि रिश्ते में उसके फूफा लगते हैं, उसकी चचेरी बुआ सुनीता को नाचने के लिये जबरन खींच रहे थे, जिस पर मेरे चाचा सिपाही लाल ने मना किया और अपने चचेरे भाई रवि को बुलाकर डांटा कि राजू, सुनीता का हाथ पकड़ कर बार–बार खीचने के लिये खींच रहा है, तुम नाचने में व्यस्त हो। तुम सुनीता को लेकर यहां से जाओ। मेरे चाचा सिपाही लाल की इन बातों को लेकर राजू बहुत बुरा मान गया

और छत पर आकर महिलाओं के पास बैठ गया। मैं जयमाल देखने के लिये छत पर गयी, मैं छत पर जयमाल नहीं देख रही थी, अपने बच्चे को संभाल रही थी। सिपाही लाल जब छत पर गये थे, तब मैंने उनको देखा था। जब सिपाही लाल छत पर गये तब राजू ने दौड़कर सिपाही लाल को धक्का मार दिया। दूसरे चश्मदीद साक्षी रमेश कुमार ने भी अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब सिपाही लाल छत पर गये थे, तो राजू ने सिपाही लाल को धक्का मार दिया। जब राजू ने सिपाही लाल को धक्का मार दिया तब उसने शोर मचाया और राजू को सीढ़ी से उतरते नीचे पकड़ लिया। दोनों चश्मदीद साक्षी ने यानि कि उर्मिला व रमेश ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि छत पर सिपाही लाल गये थे और राजू ने उनको धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और उनकी मृत्यु हो गयी। अभियोजन साक्षी संख्या 5 डा0 अजय द्विवेदी ने अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मृत्यु का तात्कालिक कारण कार्डियाइक शाक था। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से था। जिस प्रकार से घटना घटी है और जिस प्रकार से मृतक की मृत्यु हुई है वह स्पष्ट करती है कि अभियुक्त यह जानता था कि यदि छत से किसी व्यक्ति को धकेल दिया जाय तो उसकी मृत्यु की संभावना है और जिस प्रकार से यह घटना घटी है और घटना के पूर्व जो अभियुक्त के द्वारा सुनीता के साथ जबरदस्ती नाचने का प्रयास अभियुक्त कर रहा था, वह यह साबित करने के लिये पर्याप्त है कि क्योंकि अभियुक्त इस बात को अच्छी तरह जानता था कि यदि कोई व्यक्ति छत से नीचे गिरे तो वह मर भी सकता है और अभियुक्त ने मृतक को मारने का ही प्रयास बिना जान से मारने के आशय से किया, जिसकी वजह से सिपाही लाल की मृत्यु हो

गयी। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध किया है और इस प्रकार अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य धारा 304 भा0दं0सं0 के अवयव को संतुष्ट करता है।

किसी भी प्रकरण में अपराध को साबित करने का भार अभियोजन का होता है। अभियोजक न्यायालय का मित्र होता है और उसे न्याय प्रदान करने के लिये न्यायालय की हर सम्भव सहायता करनी चाहिए। लोक अभियोजक निष्पक्ष विचारण के लिये गम्भीर उत्तरदायित्व है और उसे सजा के लिये उन्मुख नहीं रहना चाहिए और उसको अपने कथा़नक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना चाहिए। युक्तियुक्त संदेह को परिभाषित करते हुये **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **Inder singh and others Vs the state (Delhi Admin) 1978 AIR 1901** में यह अवधारित किया है कि Proof beyond reasonable doubt does not means perfect. It is a guideline, not a fetish and guilty man can not away with it because truth suffers from infirmity when projected through human process.

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं न्यायालय में उपस्थित होकर साक्षीगण द्वारा दिये गये बयानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य कागजातों का सम्यक अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नियत से आशयपूर्वक सिपाही लाल को छत से धक्का दे दिया, जिसके कारण उसे कार्डियाइक अरेस्ट हो गया और

उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त इस बात को जानता था कि यदि इसे छत से धक्का दे दिया जाय तो इसकी मृत्यु हो जायेगी किन्तु उसने कृत्य बिना आशय के किया था और उसकी मृत्यु का कारण अभियुक्त के पास मौजूद था। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य धारा 304 भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय है और अभियोजन ने अपने कथानक को साबित भी किया है। बवजह इसके अभियुक्त **राजू आदिवासी** को धारा **304 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत **दोषसिद्व** किया जाता है। अभियुक्त आज न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। सजा के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंचोपरांत पेश हो।

दिनांक–13.05.2026

(पंकज कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–22, प्रयागराज।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2670

दिनांक–13.05.2026

पत्रावली दंड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंचोपरांत पेश हुई। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) तथा अभियुक्त के अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अभियुक्त भी न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त के परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधो पर है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त भविष्य में दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेगा। अभियुक्त को कम से कम दण्ड देने की कृपा करें।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध किया गया है। अभियुक्त द्वारा सिपाही लाल को जान से मारने की नियत से छत से धक्का दे दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। अभियोजन ने अपना केस संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपा करें।

वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सिपाही लाल को जान से मारने की नियत से छत से धक्का दिया गया है जबकि वह जानता था कि इससे सिपाही लाल की मृत्यु हो सकती है। लेकिन उसका इरादा सिपाही लाल को मारने का नहीं था। धारा 304 भा0दं0सं0 के भाग–2 के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

1–अभियुक्त **राजू आदिवासी** को **धारा 304 भा0दं0सं0** के तहत **<u>दस वर्ष के कारावास</u>** और **तीस हजार रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर **एक वर्ष** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2–अभियुक्त उपरोक्त द्वारा इस अपराध में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी तथा जुर्माने के व्यतिक्रम को छोड़कर अन्य सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

3–अभियुक्त पर अधिरोपित कुल अर्थदण्ड **20,000/–रूपये** में से **10,000/–रूपये** प्रतिकर के रूप में वादी मुकदमा अथवा उसके वारिसान को नियमानुसार प्रदान किया जावे तथा शेष धनराशि उ0प्र0 राज्य सरकार के राजकीय कोष में नियमानुसार जमा किया जावे।

4–अभियुक्त का **सजायाबी वारण्ट** बनाकर अविलम्ब जिला कारागार, प्रयागराज को प्रेषित किया जावे।

5–इस निर्णय की प्रति अविलम्ब अभियुक्त को **निःशुल्क** नियमानुसार प्रदान किया जावे तथा उसको सूचित किया जावे कि वह इस निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध अपील कर सकते हैं।

दिनांक–13.05.2026

(पंकज कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–22, प्रयागराज।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2670

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–13.05.2026

(पंकज कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–22, प्रयागराज।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2670

Digitally signed by PANKAJ KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.05.13 14:35:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court